

परिवारहीन बालकों की समस्याएँ एवं समाधान

शोधार्थी

संध्या पारीक

वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान)

शोध-निर्देशक

डॉ. हितेन्द्र सिंह राठौड़

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग

वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान)

शोध सार

बालक अपने विकास की यह यात्रा बिना परिवार के पूर्ण नहीं कर सकता है। जन्मोपरान्त प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि उसे उचित पारिवारिक वातावरण, पालन-पोषण के साथ शिक्षा, परिवार व सभ्य समाज की प्राप्ति हो, ताकि वह इन सभी के मध्य रहकर स्वयं को उचित सुविधाओं के साथ-साथ विकसित कर सकें। परन्तु आज हमारे समाज, राष्ट्र, विश्व में अनेक ऐसे बालक भी होते हैं, जो इन सुविधाओं के क्षेत्र में अन्य बालकों से कम होते हैं। विभिन्न प्रकार की सुविधाओं आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, पारिवारिक संबंध से वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में ऐसे बालक अपना सामाजिक विकास, शारीरिक विकास व मानसिक विकास कर पाने में अक्षम है। जिसके कारण बालक अभावग्रस्त हो जाते हैं। बेघर और अनाथ बच्चे इन्हीं कारणों की उपज है। नगरों में जो बालक फुटपाथों या खुले में सोते हैं उनको परिवारहीन, बेघर अनाथ कहते हैं। इन बालकों का अनेक प्रकार से शोषण होता है।

मुख्य शब्द — अनाथ, बेघर, परिवारहीन, असहाय, अभावग्रस्त, निराश्रित, नातेदारी, अलगाव, नैतिक पतन।

बालकों को राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति माना गया है और उनके उचित विकास के लिये न केवल माता-पिता व परिवार के सदस्य, समाज व राष्ट्र ही चिन्तित है, बल्कि

समूचा विश्व चिन्तित है। एक बालक अपने विकास की यह यात्रा बिना परिवार के पूर्ण नहीं कर सकता है। जन्मोपरान्त प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि उसे उचित पारिवारिक वातावरण, पालन-पोषण के साथ शिक्षा, परिवार व सभ्य समाज की प्राप्ति हो, ताकि वह इन सभी के मध्य रहकर स्वयं को उचित सुविधाओं के साथ-साथ विकसित कर सकें।

एक बालक को अपने जीवन के प्रारम्भ में जन्म के समय माता-पिता के प्रेम, स्नेह, सुरक्षा, देखभाल की विशेष आवश्यकता होती है। परन्तु आज हमारे समाज, राष्ट्र, विश्व में अनेक ऐसे बालक भी होते हैं, जो इन सुविधाओं के क्षेत्र में अन्य बालकों से कम होते हैं। विभिन्न प्रकार की सुविधाओं आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, पारिवारिक संबंध से वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में ऐसे बालक अपना सामाजिक विकास, शारीरिक विकास व मानसिक विकास कर पाने में अक्षम है।

भारत में बालकों की एक बड़ी संख्या सामाजिक मूल्यों की क्षीणता, नशाखोरी, परिवार का नहीं होना, परिवार में असंतोषजनक वातावरण, माता-पिता का नहीं होना, असंतोषजनक व्यवहार और उचित सुविधाओं का अभाव इत्यादि के शिकार है, जिसके कारण बालक अभावग्रस्त हो जाते हैं। बेघर और अनाथ बच्चे इन्हीं कारणों की उपज है।

अनाथ का सामान्य अर्थ है – असहाय, जिसका कोई मालिक न हो, जिसका कोई पालन-पोषण करने वाला न हो, जिसका कोई सहारा न हो, बिना मालिक का या बिन स्वामी का, निराश्रित।

अनाथ वो व्यक्ति है जिसके माता-पिता जीवित ना हो, अज्ञात हो या जिसने अपने नवजात शिशु को, बालक को स्थायी रूप से त्याग दिया हो अर्थात् अनाथ है जिसके माता-पिता की मृत्यु हो गई, जिसका नाथ या रखवाला न हों।

सामान्य भाषा में एक बालक जो मृत्यु के कारण अपने माता-पिता को खो देता है, उसे अनाथ कहा जाता है। वास्तव में अनाथ वह होता है, जिसे जीवनयापन में किसी भी प्रकार की सहायता न मिले।

समाज में जन्म लेने वाले जो सामाजिक नियन्त्रण के कारण समाज में अपना स्थान नहीं पा सकते, उचित परिवार व नातेदारी संबंधों के अभाव में अनाथालयों में डाल दिये जाते हैं।

परिवारहीन से तात्पर्य –

जिसका कोई परिवार न हो, जिसका कोई पालन-पोषण करने वाला न हो, बिना माँ-बाप का, असहाय वह परिवारहीन या अनाथ कहलाता है। जिसका कोई परिवार न हो। जिस बालक ने अपना परिवार माता-पिता को खो दिया है दुर्भाग्य से वह बिना परिवार हो जाता है, जिसे हम परिवारहीन या अनाथ की श्रेणी में रख सकते हैं। अनेक बालकों के माता-पिता में से एक या दोनों ही नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति उन्हें अनाथ बनाती है।

नगरों में जो बालक फुटपाथों या खुले में सोते हैं उनको परिवारहीन, बेघर अनाथ कहते हैं। इन बालकों का अनेक प्रकार से शोषण होता है। विशेषतः बालिकाओं के यौन-शोषण का खतरा सदैव बना रहता है चाहे वह कोई भी देश, राष्ट्र, समाज या परिवार हो। इन बच्चों में कुछ घर से भागे, निराश्रित, अनाथ, परिवारों में शोषित एवं उपेक्षित कुटुम्ब के वातावरण से पीड़ित पाये जाते हैं।

अनाथ की परिभाषाएँ –

केम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार – “एक बच्चा जिसके माता-पिता है मृत।”

संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी परिभाषा – माता-पिता की मृत्यु या गुमशुदगी, परित्याग या मरुस्थल या दोनों माता-पिता से अलगाव या हानि माध्यम से एक मामूली नुकसान हैं।

संयुक्त राष्ट्र बालकोष– संयुक्त राष्ट्र और एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम और कोई भी बच्चा जिसने एक माता-पिता के अनाथ के रूप में खो दिया। इसमें एक मातृ अनाथ एक बच्चा है जिसकी माँ की मृत्यु हो गई है, एक पैतृक अनाथ एक बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु हो गई है, और एक डबल या दोहरा अनाथ/किशोर/बच्चा/शिशु है जिसने दोनों माता-पिता को खो दिया है, अनाथ कहलाते हैं।

जुपाल के अनुसार – “पितृ विहिन बालकों/बालिकाओं को अनाथ की संज्ञा दी जा सकती है। एक अनाथ वह बालक होता है जिसकी देखरेख अथवा पालन-पोषण के लिए कोई वैधानिक सुरक्षा न हो।”

कैथोलिक विश्वकोश – “प्लेटो (कानून, 927) अनाथों को सार्वजनिक अभिभावकों की देखरेख में रखा जाना चाहिए। पुरुषों को अनाथों और उनके दिवंगत माता-पिता की आत्माओं के लिए डर होना चाहिए। एक आदमी को दुर्भाग्यपूर्ण अनाथ से प्रेम करना चाहिए। अभिभावक रूप में अगर वह स्वयं का बच्चा था तो उसे स्वयं के रूप में अनाथ की संपत्ति के प्रबंधन में सावधान रहना चाहिए।”

स्कीनर एट ऑल (2004) – “अनाथों को आमतौर पर अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य व अफ्रीकी समुदायों और सेवा प्रदाताओं के बीच में समझा जाता है – जो बच्चे कम से कम एक माता-पिता को खो देते हैं।”

जार्ज (2011) के अनुसार – “एक बालक जो 18 वर्ष से कम उम्र का है और जो अपने एक या दोनों माता-पिता को खो दे अनाथ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।”

डिलन (2008) – “डिलन ने अनाथों को तीन रूपों में परिभाषित किया है। पैतृक अनाथ वह है, जिसने अपनी माता को खोया है। पैतृक अनाथ वह है, जिसने अपने पिता को खोया है। सामाजिक अनाथ वह है, जो बिना माता-पिता के रहते हैं, जो त्याग दिये जाते हैं। ये गरीबी, नशा और कारावास का परिणाम है।”

अनाथ बालकों की विशेषताएँ –

अनाथ बालकों की विशेषताओं को निम्न है –

- वह बालक जो नवजात अवस्था में सड़क पर पाया हो, जिसका कोई पालक नहीं हो।
- एक बालक जिसने अपने रक्त या जैविक माता-पिता के सम्बन्धों को खो दिया है।

- ऐसे बाल जो गली में घुमते हुए अपने जीवन निर्वाह हेतु स्वयं के हाथों ही नैतिक पतन की अवस्था प्राप्त करते हों
- ऐसे बालक जो सड़क पर, रेल्वे स्टेशन पर रहते हों।
- कुटुम्ब व परिवार के दूषित वातावरण से बालक जिन्हें मार्गदर्शक का अभाव हो।
- शराबी, जुआरी व अनेक प्रकार के अपराधों में लिप्त बालक
- नगरों, शहरों में जो खुले स्थान या फुटपाथ पर रहते हैं।

अनाथ बालकों (परिवारहीन) की प्रमुख समस्याएँ –

भारत में निर्धनता और सुरक्षा के अभाव पाये जाने के कारण बड़ी संख्या में बालक निराश्रित ओर अनाथ के रूप में जीवनयापन कर रहे हैं। अनेक बालकों के माता-पिता उन्हें नवजात अवस्था में ही त्याग देते हैं। अर्थात् वे अपनी इस अवस्था में बेघर (परिवारहीन) हो जाते हैं। इनका अनेक प्रकार से शोषण होता है। विशेष रूप से बालिकाओं के यौन शोषण का खतरा सदैव बना रहता है।

इस तरह परिवारहीन बालक अनेक समस्याओं का सामना करते हैं।

परिवारहीन बालक के पालन-पोषण उचित तरह से नहीं हो पाने के कारण बाल-आयु वर्ग में ही शोषण के शिकार हो जाते हैं। उनकी बाल्यकाल में गरीबी, अशिक्षा, संसाधन के अभाव, चिकित्सा का अभाव होने से अधिकांश नवजात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जो लिंगभेद का चयन करके कन्याओं की गर्भ में हत्या हिंसा का क्रूर उदाहरण है। बालिका को उनकी माताएँ कम स्तनपान करवाती है। गरीबी के कारण लड़का व लड़की दोनों को ही पोषक आहार नहीं मिलता है। इन बालकों की अनेक समस्याओं को समझा जा सकता है।

परिवारहीन बालकों की प्रमुख समस्या उन्हें उचित आवास, वस्त्र, भोजन की पाई जाती है।

परिवारहीन बालकों में अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, गरीबी बालश्रम पाया जाता है।

अनेक परिवारहीन बालक पारिवारिक, गैर-पारिवारिक कार्यों, मजदूरी के काम में लगा दिये जाते हैं।

अधिकांश बालिकाएँ कन्या भ्रूण हत्या का शिकार होती हैं। भारत की 2001 की जनगण प्रतिवेदन के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 0-14 वर्ष की आयु वर्ग के 347.54 मिलियन (33.84%) बच्चे हैं। उनमें से 169.03 मिलियन (48.64%) बालिकाएँ हैं तथा 17.851 मिलियन (51.36%) लड़के हैं। ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, कि लड़कों की तुलना में

लड़कियाँ महिलाएँ हिंसा की शिकार अधिक हैं, जो जनसंख्या के अनुपात को प्रभावित करता है।

परिवारहीन बालकों को रस्सी बनवाना, चूड़ी, पटाखे, बीड़ी, माचिस, काँच के काम, हीरे की कटाई व पॉलिश आदि कारखानों में काम करना, ढाबों, होटलों, हलवाई की दुकानों में झूठे बर्तन धोना, चाय पानी परोसना, टेबिल साफ करना आदि कार्य करवाये जाते हैं, जो एक उनके जीवन में अहम समस्या है।

अनाथ बालक उचित परवरिश व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के प्रति विमुख हो जाते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था का पड़ाव बहुत नाजुक होता है। इसी सहयोग के अभाव में बालक का जीवन उन्नति की ओर प्रशस्त नहीं हो पाता है।

अनाथ बालक पारिवारिक संबंधों के अभाव में अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर पाने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि बालक की अभिव्यक्ति उसके माता-पिता के समक्ष व अन्य सम्बन्धों के समक्ष ही प्रकट हो पाती है।

अनाथ बालक अनेक प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। उचित भोजन व पोषक तत्वों की कमी के कारण उनमें अनेक बीमारियाँ बचपन में ही पनपने लगती हैं। यह उनकी गंभीर समस्या बन जाती है।

अनाथ बालकों का समाज के प्रति दृष्टिकोण भी उचित नहीं हो पाने से वे अपने आपको समाज से अलग मानने लगते हैं और उनकी समाज के साथ सामंजस्य में कठिनाई होती है। जिससे वे समाज से पिछड़ जाते हैं।

अनाथ बालकों का नैतिक पतन भी हो जाता है। वे उचित शिक्षा के अभाव में अपने नैतिक ह्रास की तरफ अग्रसर होने लगते हैं तथा अपने सामाजिक समूहों के मूल्यों को ग्रहण कर पाने में असमर्थ होते हैं।

भारत में बच्चों की एक बड़ी संख्या, गरीबी, सामाजिक मूल्यों का क्षीण होना, घर व परिवार का असंतोषजनक वातावरण और संकट के समय सामाजिक सुरक्षा के तरीकों की कमी का होना है, जिसके फलस्वरूप वे निराश्रित हो जाते हैं। बेघर व अनाथ या परिवारहीन बालक इन्हीं कारकों की उपज है।

समाधान—

परिवारहीन बालकों को गरीमामय जीवन प्रदान करने हेतु निम्न समाधान किये जाने चाहिए —

- अनाथ बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाने चाहिए।
- अनाथों के पूर्णवास की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- अनाथ बच्चों को गोद लिए जाने की विधि का सरलीकरण किया जाना चाहिए।
- अनाथ बच्चों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- अनाथ बच्चों को अनाथालयों में पारिवारिक वातावरण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष—

अतः कहा जा सकता है कि अनाथ बालक अपने मानसिक व शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रस्तुत अध्ययन में अनाथ बालकों की अनेक शारीरिक, मानसिक,

समाज से सामंजस्य नहीं कर पाने की समस्या को उजागर किया गया है। अनाथालयों में रह रहे बालकों के पालन पोषण संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी अनाथालयों द्वारा की जा रही है। अध्ययन का उद्देश्य सड़क पर रह रहे अनाथ बालकों को उनके अधिकारों से अवगत कराना है। अध्ययन में पाया गया कि अत्यधिक गरीबी सड़क पर रह रहे बच्चों की बढ़ती संख्या का प्राथमिक कारण है।

सन्दर्भ –

1. नातेदारी, विवाह एवं परिवार : डॉ. गोपी रमण प्रसाद सिंह, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, 2014-15, पृष्ठ संख्या-123
2. समाजशास्त्र के सिद्धान्त : विद्याभूषण डी.आर. सचदेव, इलाहाबाद, किताब महल, 2018, पृष्ठ संख्या-293
3. नातेदारी, विवाह एवं परिवार : डॉ. गोपी रमण प्रसाद सिंह, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, 2014-15, पृष्ठ संख्या-124
4. समाजशास्त्र के सिद्धान्त : विद्याभूषण डी.आर. सचदेव, इलाहाबाद, किताब महल, 2018, पृष्ठ संख्या-293
5. समाजशास्त्र के सिद्धान्त : विद्याभूषण डी.आर. सचदेव, इलाहाबाद, किताब महल, 2018, पृष्ठ संख्या-293
6. जैन, शोभिता, भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी, पृ.सं.-2, 3
7. भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी : शोभिता जैन, रावत पब्लिकेशन्स, 2017, पृष्ठ संख्या 2, 3
8. समाजशास्त्र के सिद्धान्त : विद्याभूषण डी.आर. सचदेव, इलाहाबाद, किताब महल, 2018, पृष्ठ संख्या-295
9. भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार : के.एम. कपाड़िया, मोतीलाल बनारसी दास, 2018, पृष्ठ संख्या-28

10. भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार : के.एम. कपाड़िया, मोतीलाल बनारसी दास, 2018, पृष्ठ संख्या-32
11. समाजशास्त्र के सिद्धान्त : विद्याभूषण डी.आर. सचदेव, इलाहाबाद, किताब महल, 2018, पृष्ठ संख्या-296
12. समाजशास्त्र अवधारणाएँ एवं सिद्धान्त : जे.पी. सिंह, दिल्ली, पी.एच.आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, 2013, पृष्ठ संख्या-240, 241
13. नातेदारी, विवाह एवं परिवार : डॉ. गोपी रमण प्रसाद सिंह, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, 2014-15, पृष्ठ संख्या-132 से 137
14. मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन : डॉ. वृन्दासिंह जयपु, पंचशील प्रकाशन, 2014, पृष्ठ संख्या-4